HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 11764/2025

Bunty Singh S/o Late Shri Pappu, Aged About 25 Years, R/o 2209/1 Valmiki Mohalla, Tuglakabaad, Hal Nivasi Plot Number 140, Surya Nagar, Kumhar Basti, Road Number-17, Visvkrma, Jaipur, Rajasthan. (At Present Confined in Central Jail, Jaipur)

----Petitioner

Versus

State of Rajasthan, Through PP

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Tejashwi Sharma, Adv.
For Respondent(s)	:	Mr. Manvendra Singh, PP

HON'BLE MR. JUSTICE CHANDRA PRAKASH SHRIMALI

Order

25/02/2026

प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से अपनी नियमित जमानत हेतु यह जमानत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (439 दं.प्र.सं.) पुलिस थाना विश्वकर्मा, जयपुर (पश्चिम) में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 205/2024 अपराध अन्तर्गत धारा 302, 120—बी भारतीय दण्ड संहिता में पेश किया गया है।

प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अभिभाषक का बहस के दौरान तर्क रहा है कि प्रार्थी/अभियुक्त निर्दोष है, उसे मिथ्या लिप्त किया गया है, उसके द्वारा मृतका सीता देवी की हत्या नही की गयी है। अभियोजन पक्ष द्वारा परीक्षित साक्षीगण में से किसी भी साक्षी ने प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा मृतका की हत्या कारित करना नही बताया है। पी.डब्ल्यू.—1 विशाल नायक, जो कि मुख्य साक्षी

है, वह अभियोजन पक्ष द्वारा पक्षद्रोही घोषित हुआ है। अभियोजन पक्ष द्वारा परीक्षित किसी भी साक्षी ने घटना घटित होते हुए नही देखी है। सहअभियुक्ता निर्मल का आपराधिक कृत्य प्रार्थी/अभियुक्त के समान है, निर्मल की जमानत माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा आपराधिक अपील संख्या 2972/2025 में पारित आदेश दिनांक 15.07.2025 के द्वारा स्वीकार की जा चुकी है। प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक 10.05.2024 से अभिरक्षा में है, प्रकरण के विचारण में समय लगेगा, अतः प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर उसे जमानत पर रिहा किया जावे।

विद्वान लोक अभियोजक का बहस के दौरान तर्क रहा है कि प्रार्थी/अभियुक्त पर अन्य सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर मृतका सीता देवी को जान से मारने के आशय से आपराधिक षड्यंत्र कर उसके मार्मिक अंग सिर पर लोहे के पाईप से मारपीट कर उसकी हत्या करने के अपराध का आरोप है। सहअभियुक्ता निर्मल का जमानत प्रार्थना पत्र महिला होने के आधार पर माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा स्वीकार किया गया है। अतः प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए यह जमानत प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

मैंने उभय पक्षों की ओर से प्रस्तुत तर्कों पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

वर्तमान प्रकरण में पुलिस द्वारा अनुसंधान में यह तथ्य पाया गया है कि मृतका के पिता की दो वर्ष पहले मृत्यु होने व मृतका की पुत्री के अन्य समाज के लड़के के साथ चले जाने का कारण प्रार्थी/अभियुक्त, जो कि मृतका का पुत्र है, ने अपनी मां को इनका जिम्मेदार मानकर नफरत कर हत्या करने के आशय से दिल्ली से जयपुर बुलाया। मृतका के पुत्र सुनील सिंह, प्रार्थी/अभियुक्त बन्टी सिंह व पुत्रवधु निर्मल ने मृतका के सोने के बाद उसकी

हत्या करने के आशय से प्रार्थी/अभियुक्त बन्टी सिंह व सहअभियुक्ता निर्मल ने मृतका के हाथ–पैर पकड़ लिये और सहअभियुक्त सुनील सिंह ने मृतका के सिर पर लोहे के पाईप से वार कर चोट कारित कर उसकी हत्या कर दी और लाश को मारूति वाहन नंबर DL9 CQS 5399 में डालकर अंतिम संस्कार हेतु अपने गांव ले गये, जहां मृतका की बहन गीता देवी को शक होने पर अभियुक्तगण मृतका की लाश छोड़कर भाग गये। अनुसंधान के दौरान प्रार्थी/अभियुक्त की धारा 27 भारतीय साक्ष्य अधिनियम की सूचना के आधार पर घटना में प्रयुक्त मारूति कार प्रार्थी/अभियुक्त से जब्त हुई है। उक्त मारूति कार में सीट पर खून के निशान पाये गये हैं व मृतका के सैण्डल/चप्पल पाये गये हैं, जिन्हें पुलिस ने बरामद किया है। परिवादिया पी. डब्ल्यू.–2 गीता देवी ने विचारण न्यायालय के समक्ष अपने बयान में मुख्य परीक्षा में प्रार्थी/अभियुक्त व सहअभियुक्तगण द्वारा सीता देवी को जयपुर बुलाकर षड्यंत्रपूर्वक उसकी हत्या कारित करने का कथन किया है। पी.डब्ल्यू.–7 केदार प्रसाद शर्मा ने अपने बयान में कथन किया है कि दिनांक 07.05.2024 को प्रार्थी/अभियुक्त व सहअभियुक्तगण के साथ उसके पास आये और मकान की चाबी मांगी तथा यह कहा कि मम्मी के मिर्गी का दौरा आया और वे गिर गयीं। जब उसने जाकर देखा तो मृतका की आंख के नीचे व सिर पर चोट के निशान थे और अभियुक्तगण उसे जल्दी जलाने के लिए कह रहे थे। पी.डब्ल्यू.–8 मोहन लाल, जो कि वरवक्त घटना पुलिस थाना बस्सी की जटवाड़ा चौकी के इंचार्ज के पद पर तैनात था, उसने महिला का नजरी निरीक्षण किया तो उसके सिर पर गंभीर चोट व खून निकलना पाया तथा आंख के नीचे व नाक के पास चोट के निशान पाये।

इस प्रकरण में किसी भी व्यक्ति ने घटना घटित होते हुए नही देखी है, प्रकरण परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित है। ऐसी स्थिति में इस प्रकरण में

कुछ साक्षीगण के पक्षद्रोही होने मात्र से इस स्तर पर यह नही कहा जा सकता है प्रार्थी/अभियुक्त ने कोई आरोपित अपराध कारित ही नही किया हो। प्रकरण में अन्वेषण अधिकारी, मारूति कार की फर्द जब्ती, चिकित्सक वगैरह महत्वपूर्ण साक्षीगण हैं, जिनके बयान लेखबद्ध होने शेष हैं।

अतः प्रकरण के तथ्यों, परिस्थितियों तथा प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण के गुण–दोषों पर टिप्पणी किये बिना इस प्रक्रम पर प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

परिणामतः प्रार्थी/अभियुक्त **बन्टी सिंह पुत्र स्व. पप्पू** की ओर से प्रस्तुत यह जमानत प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

(CHANDRA PRAKASH SHRIMALI),J

MANISH SAINI /11